न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, उत्पाद अधिनियम, झंझारपुर।
जी0 आर0 संख्या–917/2018
झंझारपुर थाना कांड संख्या–88/2018
सी.आई.एस. संख्या–2334/2022

05.03.25

सभी दो अभियुक्तगण महाकान्त ठाकुर एवं विनोद कुमार पासवान की ओर से नवीन शक्तिपत्र के साथ उपस्थिति दी गई है। अभियुक्त महाकान्त ठाकुर की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को पुलिस पेपर प्राप्त कराया गया।

अभियुक्त महाकान्त ठाकुर की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं कि अभियुक्त इस वाद के नामजद अभियुक्त हैं तथा भा.द.वि. की धारा 290 एवं बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37(b)(c) के तहत आरोपित है। वह अपना अपराध स्वेच्छा से स्वीकार करने को तैयार है। अतः उन्हें अपराध स्वीकार करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। उभयपक्षों को अभियोग के सारांश बिंदु पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 290 एवं बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37(b)(c) के अंतर्गत अभियोग का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया। सुन व समझकर उसने आरोपित धाराओं के प्रति अपनी सहमति जताते हुए गलती स्वीकार की। तत्पश्चात् धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का बयान लिपिबद्ध किया गया। इसमें उसने स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार करने की बात कही है साथ ही यह भी कहा है कि यह उनका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में उनके द्वारा इस गलती कि पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अभियुक्त महाकान्त ठाकुर को आरोपित धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। किन्तु उक्त धाराओं में प्रथम अपराध होने पर चेतावनी के साथ अर्थदंड जमा करने पर रिहा करने का प्रावधान है। अतः अभियुक्त पर मो0 2700/– रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। उक्त अर्थदंड की राशि जमा करने का रशीद न्यायालय में समर्पित करने पर अभियुक्त को रिहा किया जाएगा। राशि जमा नहीं होने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिनों के कारावास में जाना होगा। अभियुक्त को कारा अभिरक्षा में लिया गया।

लेखापित

विशेष न्यायाधीश, उत्पाद अधिनियम,
झंझारपुर।

पश्चात्
05.03.25

आदेशानुसार अभियुक्त द्वारा मो0 2700/– रुपये की राशि नजारत व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर में जमा कर रसीद संख्या–220/2025 दिनांक–05.03.2025 न्यायालय में समर्पित की गई। तद्नुसार अभियुक्त महाकान्त ठाकुर को इस वाद में उनपर आरोपित सभी धाराओं के दायित्वों से चेतावनी के साथ **मुक्त** किया जाता है। अब इस वाद में एक मात्र अभियुक्त विनोद कुमार पासवान का विचारण होगा।

दिनांक– 17-4-25 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

विशेष न्यायाधीश, उत्पाद अधिनियम,
झंझारपुर।

Scanned with OKEN Scanner